

	<p>है एवं क्या विक्रेता एवं इससे सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति का कोई वाद न्यायिक अधिकारी के यहां लम्बित है अथवा निर्णीत किया है</p>	
<p>11</p>	<p>आय के स्रोत का विवरण एवं समर्थन में कागजात का</p>	<p>पंजीकृत अनुबन्ध पत्र दिनांक - 20.09.2018 के समय तक सम्पत्ति के कुल मूल्य रूपए 12,50,000/- के आधे मूल्य रूपए 6,50,000/- का भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना दिनांक-17.10.2018 को निर्धारित प्रपत्र में माननीय न्यायालय को भेजा गया था। माननीय उप निबन्धक (एम) के पत्रांक-12689/IV-3880/एडमिन(ए-4) दिनांकित-04.09.2019 से अनुमति प्राप्त होने के बाद बैनामा दिनांक-04.10.2019 को निष्पादित हुआ, जिसमें वेतन खाते से रूपए 1,25,000/- का भुगतान तत्काल किया गया तथा शेष भुगतान 10 पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से किया गया, जिसका विस्तृत विवरण बैनामा दिनांकित-04.10.2019 में दर्ज किया गया।</p>
	<p>संलग्नक -</p>	<p>1-पंजीकृत दस्तावेज बैनामा दिनांकित - 04.10.2019 जो कि निबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज लखनऊ के बही संख्या-1 जिल्द सं0 10867 पृष्ठ सं0 137 से 154 तक क्रमांक 19851 पर दर्ज है, की फोटो प्रति। 2-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा - सिविल कोर्ट, लखनऊ की चेक संख्या-637202 दिनांक-04.10.2019 रू0 1,25,000/-, चेक संख्या-637203 दिनांक-11.11.2019 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637205 दिनांक-11.12.2019 रू0 50,000/- चेक संख्या-637207 दिनांक-11.02.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637208 दिनांक-11.03.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637209 दिनांक-11.04.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637210 दिनांक-11.05.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637212 दिनांक-11.06.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637213 दिनांक-11.07.2020 रू0 50,000/-, चेक संख्या-637214 दिनांक-11.08.2020 रू0</p>

Edh

50,000 /- , चेक संख्या-637206
दिनांक-11.12.2020 रू0 50,000 /- की
फोटो प्रति

सादर,

दिनांक-02.11.2019

भवदीय,
S. Chaudhary

(शरद कुमार चौधरी)
विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (अयोध्या प्रकरण),
लखनऊ। आई0डी0-1842